# अंतिम विनियम

## मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्रमांक– 1442/मप्रविनिआ/2022, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (यघ) तथा (यझ) के साथ पठित धारा 61(ज) तथा धारा 86(1)(ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 {आरजी–39(I), वर्ष 2022}**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–**(1) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 कहलायेंगे । {आरजी–39(I), वर्ष 2022}

(2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:–**

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, (2003 का 36);

(ख) **"अनुबन्ध/करार"** से अभिप्रेत है, कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) अथवा उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध/करार;

(ग) **"बिलिंग चक्र"** से अभिप्रेत है, वह कालावधि जिसके लिए देयक प्रस्तुत किये जाते हैं ;

(घ) **"बिलिंग कालावधि"** से अभिप्रेत है, वह कालावधि जिसके लिए आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नियमित विद्युत देयक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए तैयार किये जाते हैं ;

(ङ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(च) **"उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है, एक उपभोक्ता जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है ;

(छ) **"संविदा मांग" या "स्वीकृत भार "** से अभिप्रेत है, यथास्थिति किलोवाट ('KW'), किलोवाट एम्पीयर ('KVA'), अथवा अश्वशक्ति या हार्स पावर ('HP'), में उच्चतम भार (लोड) जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये

जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है जैसा कि इसका उल्लेख उपभोक्ता द्वारा संविदाकृत अनुबन्ध/करार में किया गया है ;

(ज) **"वितरण अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ;

(झ) **"विद्युत प्रदाय संहिता"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 तथा उसके पश्चात्वर्ती संशोधन ;

(ञ) **"पात्र उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में विद्युत का कोई उपभोक्ता जो अपने स्वयं के परिसर में उसकी स्वयं की विद्युत आवश्यकताओं का उपयोग समस्त या आंशिक या निरंक भाग का समायोजन (ऑफसेट) करने का इच्छुक हो जिसके अनुसार ऐसी प्रणालियां उपभोक्ता हेतु स्व–स्वामित्वयुक्त या तृतीय–पक्षकार पट्टायुक्त हो सकती हैं ;

(ट) **"वित्तीय वर्ष" या "वर्ष"** से अभिप्रेत है, अंग्रेजी कैलेण्डर वर्ष के अनुसार अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि ;

(ठ) **"सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग)"** से अभिप्रेत है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादित समस्त ऊर्जा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय कर लिया जाता है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसकी खपत हेतु उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को अनुमोदित खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) पर किये गये बिल को उसके द्वारा कुल उत्पादित विद्युत हेतु प्राप्त की गई विद्युत–दर पर उसका आकलन (क्रेडिट) प्रदान करने के पश्चात विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देयक (बिल) प्रस्तुत करता है ;

(ड) **"शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) व्यवस्था हेतु अन्तर्संयोजन बिन्दु"** से अभिप्रेत है, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में मापयन्त्र के निर्गामी छोर (आउटगोइंग टर्मिनल) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली का अन्तर्संयोजन :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) उच्च दाब स्तर पर संयोजित हो तो अन्तर्संयोजन बिन्दु का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मापन उपकरण के निर्गामी छोर से सहयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से होगा ;

(ढ) **"सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) व्यवस्था हेतु अन्तर्संयोजन बिन्दु"** से अभिप्रेत है, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में मापयन्त्र के प्रवेशी छोर (इनकमिंग टर्मिनल) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत प्रणाली का अन्तर्संयोजन :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) उच्च दाब स्तर पर संयोजित हो तो अन्तर्संयोजन बिन्दु का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी

के मापन उपकरण के प्रवेशी छोर से सहयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से होगा ;

(ण) **"बीजक"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक देयक/पूरक देयक या मासिक बीजक/पूरक बीजक ;

(त) **"केडब्ल्यूपी"** से अभिप्रेत है, किलोवाट पीक (शीर्ष) ;

(थ) **"शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग)"** से अभिप्रेत है, ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत प्रयोज्य बिलिंग कालावधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में नेट मीटर सहित स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा अधिशेष विद्युत, यदि कोई हो, उसे (ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को) विद्युत प्रदाय के समायोजन पश्चात प्रदान की जाती है ;

(द) **"आबंधित इकाई"** से अभिप्रेत है, एक ऐसी इकाई जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन नवीकरणीय क्रय आबन्धन की पूर्ति के आदेशाधीन है तथा जिसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के {ऊर्जा के नवकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन}(पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम 2021 के अधीन चिन्हांकित किया गया है ;

(ध) **"परिसर"** से अभिप्रेत है, कोई भूमि, भवन या संरचना या उसका कोई भाग या कोई संयोजन जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति के मापन हेतु पृथक मापयंत्र (मीटर) या मापन की व्यवस्था की गई है ;

(न) **"उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर)"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करने के साथ–साथ समान आपूर्ति बिन्दु का उपयोग करते हुए ग्रिड में विद्युत का अन्तःक्षेपण (इन्जेक्ट) भी कर सकता है, जैसा कि शुद्ध मापन या सकल मापन व्यवस्था के प्रकरण में यथास्थिति लागू हो;

(प) **"नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र"** से अभिप्रेत है, ऊर्जा मापयन्त्र जिसका उपयोग सकल मापन व्यवस्था में लेखांकन तथा बिलिंग के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊर्जा के मापन हेतु किया जाता है ;

(फ) **"नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली"** से अभिप्रेत है, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युतप्रणाली जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संचायक (स्टोरेज) के साथ या उसके बगैर भी विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरण (कन्वर्शन) हेतु किया जाता है और जिसका उपयोग और/या संचालन ऐसे उत्पादोभोक्ता द्वारा किया जाता है और जिसे उत्पादोभोक्ता के स्वामित्व वाले परिसर में स्थापित किया जाता है ;

(ब) किसी अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में **"खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश (रिटेल सप्लाई टैरिफ आर्डर)"** से अभिप्रेत है उक्त अनुज्ञप्तिधारी हेतु आयोग द्वारा जारी किया गया नवीनतम आदेश जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा

सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रभारित की जाने वाली दरों को उपदर्शित करता है ;

(भ) **"संचायक (स्टोरेज)"** से अभिप्रेत है ऊर्जा संचायक (स्टोरेज) प्रणाली जिसके अन्तर्गत ठोस अवस्थिति बैटरियों या अन्य किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग समकक्ष विधियों तथा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों के संचयन हेतु तथा विद्युत के रूप में संचित ऊर्जा के प्रदाय हेतु किया जाता है ; और

(म) **"व्यवस्थापन कालावधि"** से अभिप्रेत ऐसी कालावधि से है जिसके समापन पर यथास्थिति शुद्ध आकलित (नेट क्रेडिटेड) यूनिटों या आकलित आगे बढ़ाई गई (कैरीफॉर्वड) राशि का शुद्धमापन या सकल मापन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादोभोक्ता के मध्य घटित होता है जो सामान्यतः अंग्रेजी कैलेण्डर वर्ष के अनुसार अक्टूबर माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होती है और अगले वर्ष के सितम्बर माह के तीसवे दिवस को समाप्त होती है।

प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में इनके लिए प्रयुक्त हैं। इन विनियमों तथा अधिनियम में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में, इनके लिए अधिनियम में नियत किये गये अर्थ ही प्रचलित होंगे।

**3. विस्तार तथा प्रयोज्यता :–**

1. ये विनियम निम्न प्रयोजनों हेतु लागू होंगे :

   (क) शुद्ध मापन व्यवस्थाएं

   (ख) सकल मापन व्यवस्थाएं

2. ये विनियम समस्त ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों पर लागू होंगे :

   परन्तु यह कि विद्यमान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो पूर्व ही से शुद्ध मापन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके द्वारा 500 किलोवाट से अधिक क्षमता की स्थापना की गई है, वे इन विनियमों के अन्तर्गत शुद्ध मापन सुविधा का लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे।

**4. शुद्ध मापन व्यवस्थाओं तथा सकल मापन व्यवस्थाओं की सामान्य शर्तें :–**

1. पात्रता रखने वाले उपभोक्ता जो किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक हों उन्हें यथास्थिति शुद्ध मापन व्यवस्था या सकल मापन व्यवस्था, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिना किसी भेदभाव के वितरण ट्रांसफार्मरवार 'प्रथम आएं प्रथम पाएं' आधार पर अनुमति प्रदान की जा सकेगी :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) के ऐसी प्रणाली के साथ अन्तर्संयोजन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों के संयोजन हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2013 या फिर जैसा कि भविष्य में विनिर्दिष्ट किया जाए के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

2. समस्त श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन 500 किलोवाट क्षमता तक की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकेगें।

3. समस्त श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता सकल मापन व्यवस्था के अधीन अधिकतम एक मेगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकेगें।

4. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) एक परिसर के भीतर इन विनियमों के अधीन या तो शुद्ध मापन व्यवस्था अथवा सकल मापन व्यवस्था की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

5. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का न्यूनतम आकार जिसकी स्थापना शुद्ध मापन व्यवस्था तथा सकल मापन व्यवस्था के अधीन की जा सकती है, एक किलोवाट होगा।

6. पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की क्षमता, यथास्थिति, उपभोक्ता की संविदा मांग (मांग आधारित विद्युत–दर के प्रकरण में) या स्वीकृत भार (स्वीकृत भार विद्युत–दर के प्रकरण में) से अधिक न होगी।

7. पात्र उपभोक्ता जिनके विरूद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय बकाया राशि का भुगतान लम्बित है, को इन विनियमों के अधीन शुद्ध मापन व्यवस्था या मापन व्यवस्था की सुविधा की पात्रता नहीं होगी।

8. ऐसे पात्र उपभोक्ता जो इन विनियमों के अधीन शुद्ध मापन व्यवस्था अथवा सकल मापन व्यवस्था धारित करते हों, को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2021 तथा समय–समय पर जारी होने वाले अनुवर्ती संशोधनों के अधीन खुली पहुँच की सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

9. तृतीय–पक्ष विक्रय की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

**5. वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता :–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को संयोजित किये जाने के बारे में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर की क्षमता को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा तथा यह जानकारी अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा जैसा कि इसे **अनुलग्नक–3** के अधीन प्रारुप में विनिर्दिष्ट किया गया है:

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी विशिष्ट ट्रांसफार्मर पर स्थापित संचयी क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक न होगी :

परन्तु यह और भी कि उच्च दाब (HT)/अति उच्च दाब (EHT) उपभोक्ता के प्रकरण में शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता ऐसे उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति का प्रबन्धन करने वाले वितरण/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक न होगी।

**6. ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन :–**

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का उसके तन्त्र (नेटवर्क) से अन्तर्संयोजन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता 2019 (द्वितीय पुनरीक्षण) या फिर जैसा कि भविष्य में इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए, में दर्शायी गयी विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स), मानकों तथा अन्य प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

2. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना करता है, मापन व्यवस्था तक इस प्रणाली के सुरक्षित परिचालन, संधारण तथा किसी त्रुटि में सुधार के लिये उत्तरदायी होगा तथा इसके परे प्रणाली के सुरक्षित परिचालन, संधारण तथा किसी त्रुटि में सुधार के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी होगा।

3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी दुर्घटना या क्षति की रोकथाम हेतु उसकी वितरण प्रणाली को ऐसी किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीसे आशंका/क्षति की संभावना पाये जाने पर किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये इसे विच्छेदित करने का अधिकार होगा। वितरण अधिकारी द्वारा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को युक्तिसंगत समय के भीतर त्रुटि में सुधार के लिये बुलाया जा सकेगा।

4. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीकिसी अनभिप्रेत द्वीपीय परिस्थिति (अनइन्टेंडिड आइलैण्डिंग कंडीशन) को समझने में सक्षम होना चाहिए। विद्युत अपूर्ति व्यवस्था या ग्रिड के विफल हो जाने पर ग्रिड में किसी प्रकार के पोषण (फीडिंग) की रोकथाम हेतु प्रणाली द्वारा द्वीपीय रोधी संरक्षण व्यवस्था धारित की जानी चाहिए। ग्रिड संयोजित प्रतीपकों (इन्वर्टर्स) के बारे में द्वीपीय रोकथाम उपाय के परीक्षण हेतु IEC/IEEE के प्रयोज्य तकनीकी मानकों का अनुसरण करना होगा।

5. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) बैटरी समर्थक (बैकअप) के साथ या उसके बगैर भी ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता संचायक (स्टोरेज) हेतु संयोजन के लिये विकल्प का चयन करता हो तो प्रतीपक (इन्वर्टर) में ग्रिड विद्युत प्रदाय के अभाव में ग्रिड के भीतर विद्युत प्रवाह की रोकथाम हेतु उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी तथा यह भी कि उसे एक स्वचालित व्यवस्था के साथ–साथ हस्तचालित वियोजन स्विच (मैनुअल आइसोलेशन स्विच) भी उपलब्ध कराना होगा।

6. प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को, एक स्वचालित समक्रमिक यन्त्र (ऑटोमेटिक) सिंक्रोनाइजेशन डिवाइस) के साथ सज्जित किया जाएगा।

7. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में ऊर्जा के अन्तःक्षेपण से पूर्व प्रतीपकों द्वारा हार्मोनिक्स तथा अन्य विकृतियों के निस्यन्दन (फिल्ट्रेशन) की विशिष्टताएं धारित की जाएंगी। कुल वोल्टेज हार्मोनिक विकृति, अर्थात्, टोटल वोल्टेज हार्मोनिक (डिस्टॉरशन) (THD) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC)/IEEE तकनीकी मानकों में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रखी जाएगी।

**7. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापनः–**

**7क. शुद्ध मापन व्यवस्था (नेट मीटरिंग अरेंजमेंट) :–**

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमर्स) को नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार द्वि–दिशात्मक मापयन्त्र वाचन का दायित्व वहन करेगा।

2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु उत्पादोभोक्ता को जारी किये जाने वाले अपने देयक पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायेगा :

   क. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में अन्तःक्षेपित की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;

   ख. बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;

   ग. शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा ;

   घ. पिछली बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा ;

   ङ. आगामी बिलिंग अवधि हेतु आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा ; और

   च. नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (आरपीओ कम्पलायंस) हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये यूनिटों की संख्या।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्यात की गई ऊर्जा को उत्पादोभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई ऊर्जा खपत के विरूद्ध निम्न रीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा :

क. यदि बिलिंग अवधि के दौरान निर्यात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या आयात की गई यूनिट संख्या से अधिक होतो विद्युत की आधिक्य मात्रा को विद्युत की आकलित (क्रेडिट) संख्या के रूप में आगामी बिलिंग अवधि हेतु आगे स्थानान्तरित (कैरी फारवर्ड) कर दिया जाएगा;

ख. यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा आयात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या निर्यात की गई यूनिटों की संख्या से अधिक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी आकलित (क्रेडिट) की गई यूनिटों की संख्या का समायोजन करने के पश्चात विद्युत खपत हेतु इसका बीजक (invoice) प्रस्तुत करेगा ; और

ग. ऐसे प्रकरण में जहां उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) समयानुपाती विद्युत–दर (टाइम ऑफ डे टैरिफ) के विस्तार क्षेत्र में हो वहां किसी समय–खण्ड (जैसे कि व्यस्ततम घंटे, अव्यस्ततम घंटे, आदि) में विद्युत उपयोग/खपत को सर्वप्रथम उसी समय–खण्ड के विद्युत उत्पादन के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। किसी बिलिंग चक्र के अन्तर्गत किसी अन्य समयखण्ड में विद्युत खपत से अधिक संचयी विद्युत उत्पादन को इस प्रकार लेखांकित किया जाएगा जैसे कि आधिक्य विद्युत उत्पादन अव्यस्ततम समयखण्ड के दौरान घटित हुआ हो :

परन्तु यह कि विनियम 7(क) के खण्ड 3(क), 3(ख) तथा 3(ग) के अधीन आयातित (इम्पोर्टेड) यूनिटों की संख्या को उपभोक्ता की तत्संबंधी श्रेणी हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश की यथास्थिति, न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों या खपत पर आधारित न्यूनतम प्रभार की तुष्टि करनी होगी, अन्यथा, खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश यथास्थिति न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्ड या खपत पर आधारित न्यूनतम प्रभार लागू होंगे।

4. व्यवस्थापन अवधि के समापन पर असमायोजित विद्युत की शुद्ध आकलित यूनिट संख्या के प्रति राशि चालू वित्तीय वर्ष में 15 नवम्बर तक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश राज्य हेतु यथास्थिति सौर/पवन बोली प्रक्रिया के दौरान पाई गई न्यूनतम टैरिफ दर पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय होगी। यदि पूर्व वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कोई भी दर उपलब्ध न हो तो निकटवर्ती उपलब्ध अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत–दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि पवन या सौर प्रणाली को छोड़कर अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों के प्रकरण में प्रयोज्य दर औसत विद्युत क्रय लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश में ऐसी अवधि हेतु अवधारित की जाए :

परन्तु आगे यह और भी कि प्रत्येक व्यवस्थापन अवधि के प्रारंभ में आगे बढ़ाई गई अन्तःक्षेपित विद्युत की संचयी यात्रा को शून्य पर पुनर्स्थापित किया जाएगा।

5. ऐसे प्रकरणों में जहां खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश में स्थाई प्रभारों की गणना खपत किये गये यूनिटों की मात्रा के आधार पर की जाती है वहां स्थाई प्रभारों की गणना ग्रिड से आयात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

6. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता विद्युत–दर (टैरिफ) के अतिरिक्त आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये अन्य प्रभारों के साथ–साथ शासन द्वारा अधिरोपित अन्य कोई कर/शुल्क (डयूटी)/उपकर (सेस) शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर आधारित बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।

7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो चुकी हो या फिर वह अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि के भुगतान का निपटान न कर रहा हो, को समायोजन/आकलन (क्रेडिट) के विरूद्ध देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी जब तक वह पूर्व में देय राशियों तथा अन्य प्रयोज्य राशियों की अदायगी न कर दे।

8. बिलिंग के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में, इसका निपटान समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम, 2021 के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा।

9. शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन का निदर्शी उदाहरण **अनुलग्नक–1** में दर्शाया गया है।

### *7ख सकल मापन व्यवस्था (ग्रास मीटरिंग अरेंजमेंट)*

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमर्स) हेतु नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार दोनो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र तथा उपभोक्ता मापयन्त्र का वाचन (मीटर रीडिंग) प्राप्त करेगा।

2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु उत्पादोभोक्ता को जारी किये जाने वाले अपने देयक पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायेगा :

(क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र में अभिलेखित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;

(ख) बिलिंग अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से उपभोक्ता द्वारा खपत की गई विद्युत यूनिटों की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;

(ग) बिलिंग अवधि के दौरान बिलिंग आकलन (क्रेडिट) की राशि, यदि कोई हो प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ; और

(घ) नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (RPO Compliance) हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से प्राप्त यूनिटों की संख्या।

3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत का क्रय पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश राज्य हेतु यथास्थिति, सौर/पवन बोली प्रक्रिया के दौरान पाई गई न्यूनतम दर पर किया जाएगा। यदि पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई भी दर उपलब्ध न हो तो निकटतम अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत–दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों के प्रकरण में पवन तथा सौर प्रणाली को छोड़कर यह दर प्रयोज्य औसत विद्युत क्रय लागत होगी जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा उक्त अवधि के लिये खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश के अन्तर्गत अवधारित किया जाए।

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग अवधि के दौरान ऊर्जा आपूर्ति की बिलिंग तत्संबंधी श्रेणी के उपभोक्ता हेतु विद्युत–दर अनुसूची (टैरिफ) तथा खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश सहपठित समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये कोई अन्य प्रभारों तथा शासन द्वारा अधिरोपित किये गये किसी अन्य कर/शुल्क (ड्यूटी)/उपकर (सेस) हेतु बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की भी पात्रता होगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक (नेट बिल) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 7ख(3) के अनुसार तथा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा उपरोक्त विनियम 7 ख(4) के अनुसार देय राशि को सम्मिलित करते हुए तैयार करेगा :

परन्तु यह कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक राशि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय हो तो उत्पादोभोक्ता द्वारा इसका भुगतान देयक की निर्धारित तिथि के भीतर किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और भी कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक राशि का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया

जाना हो तो इसे अगली बिलिंग अवधि हेतु आकलित (क्रेडिटेड) राशि के रूप में आगे बढ़ाया (carry forward) जाएगा। इस प्रकार की आकलित (क्रेडिटेड) की गई आगे बढ़ाई गई (carry forward) राशि पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ब्याज राशि का भुगतान देय न होगा।

6. प्रत्येक व्यवस्थापन अवधि के अन्त में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय आकलित (क्रेडिटेड) आगे बढ़ाई गई राशि का भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तिम रूप से 15 नवम्बर तक करना होगा।

7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो चुकी हो या फिर वह अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि के भुगतान का निपटान न कर रहा हो, को समायोजन/आकलन (क्रेडिट) के विरूद्ध देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी जब तक वह पूर्व में देय राशियों तथा अन्य प्रयोज्य राशियों की अदायगी न कर दे।

8. बिलिंग के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में, इसका निपटान समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम, 2021 के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा।

**8. नवीकरणीय क्रय आबन्धन :–**

शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा अन्तःक्षेपित की गई ऊर्जा की मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) के अनुपालन हेतु अर्हता होगी।

**9. अन्य प्रभारों की प्रयोज्यता :–**

यथास्थिति शुद्ध या सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, भले ही वह स्वयं के स्वामित्व वाली या फिर तृतीय पक्षके स्वामित्व वाली हो तथा जिसे उत्पादोभोक्ता के परिसर में संस्थापित किया गया हो, को बैंकिंग प्रभार, चक्रण प्रभार तथा प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार से छूट प्रदान की जाएगी।

**10. मापन व्यवस्था :–**

1. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, के समस्त मापयन्त्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों का अनुपालन करना होगा। समस्त मापयंत्रों द्वारा प्रगत मापन अधोसंरचना (Advanced Metering Infrastructure-AMI) सुविधा मय RS485 (या उच्चतर श्रेणी) के संचार पोर्ट या अन्य कोई प्रगत संचार सुविधा धारित की जाएगी।

2. शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार एकल फेज या तीन–फेज मापयन्त्र को सम्मिलित किया जाएगा जिसकी स्थापना उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर के भीतर वितरण प्रणाली से अन्तःसंयोजन के बिन्दु पर की जाएगी।

3. शुद्ध मापन व्यवस्था के प्रकरण में उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में विद्यमान मापयन्त्र को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के उपबन्धों के अनुसार द्वि–दिशात्मक (bi-directional) मापयन्त्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसकी लागत उत्पादोभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

4. सकल मापन व्यवस्था के प्रकरण में, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में विद्यमान उपभोक्ता मापयन्त्र की स्थापना की व्यवस्था को ग्रिड से आयात किये गये यूनिटों की संख्या के लेखांकन तथा व्यवस्थापन हेतु जारी रखा जाएगा।

5. यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) समयानुपाती विद्युत–दर (टाईम ऑफ डे–TOD Tariff) के विस्तार–क्षेत्र (ambit) में अवस्थित हो तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र तथा स्थापित किया गया उपभोक्ता मापयन्त्र अथवा द्वि–दिशात्मक मापयन्त्र (यथास्थिति) क्रमशः समयानुपाती उत्पादन (TOD generation) तथा खपत के अभिलेखन हेतु सक्षम होगा।

6. वितरण अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र उपकरण के परीक्षण, स्थापना तथा अनुरक्षण के साथ–साथ प्रयोज्य मानकों तथा विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुपालन हेतु भी उत्तरदायी होगा।

7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को प्रयोज्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुरूप स्वयं के व्यय पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र अधिप्राप्त करना होगा।

8. द्वि–दिशात्मक मापयन्त्र या उपभोक्ता मापयन्त्र (सकल मापयन्त्र व्यवस्था के प्रकरण में) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र की स्थापना परिसर के भीतर प्रवेशद्वार ही के समीप की जाएगी ताकि मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) की इस तक व्यावहारिक सुगम पहुंच संभव हो सके।

9. संस्थापित मापयंत्रों को दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण तथा मुद्रांकित (सील) किया जाएगा तथा इनका परीक्षण तथा जांच उत्पादोभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही की जाएगी। यदि उत्पादोभोक्ता परीक्षण के समय उपस्थित रहने का इच्छुक हो तो उसे विधिवत सूचना के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

**11. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा आवेदन शुल्क :–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमरों) के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रक्रिया को सुगम बनायेगा। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी–

(क) उत्पादोभोक्ताओं से उनके परिसर में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों या यन्त्रों का संस्थापन अन्तर्संयोजन तथा मापन के लिये आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल का सृजन करेगा तथा नियमित आधार पर इसे अद्यतन करेगा।

(ख) अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से और अपने समस्त कार्यालयों में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा, अर्थात् :–

(एक) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना तथा उसे क्रियाशील करने हेतु विस्तृत मानकीकृत प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक विवरण ;

(दो) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर इसे क्रियाशील किये जाने तक उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये 'सम्पर्क' का कोई एकल बिन्दु ;

(तीन) उन कार्यालयों का पता तथा दूरभाष संख्या जहां भरे गये आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जा सकता है ;

(चार) ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों की पूर्ण सूची ;

(पांच) आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले लागू प्रभार ;

(छः) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लाभ के लिये पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं की सूची ; और

(सात) उपभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथालागू वित्तीय प्रोत्साहन।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रपत्र (फार्म) को अपनी वेबसाइट तथा अपने स्थानीय कार्यालयों पर हार्ड कॉपी के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

(घ) परिसर का उपभोक्ता अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजन हेतु इस विनियम के साथ संलग्न **अनुलग्नक–2** के अनुसार निर्दिष्ट प्रपत्र में मय रू. 1000 (रूपये एक हजार मात्र) के पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) शुल्क के संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

(ङ) यदि आवेदन को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी प्राप्ति के पश्चात उक्त आवेदन हेतु पंजीकरण संख्या प्रदान की जाकर पावती की सूचना तत्काल आवेदक को प्रेषित की जाएगी। हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर तत्काल इसको स्कैन किया जाएगा तथा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन

प्राप्त किया जाता है तो आवेदक के प्रस्तुतिकरण के बाद पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) संख्या और पावती का सृजन किया जाएगा। किसी आवेदन को पावती के साथ पंजीकरण संख्या के सृजन की तिथि को आवेदन प्राप्ति की तिथी समझा जाएगा। आवेदन के विभिन्न चरणों जैसे कि आवेदन की प्राप्ति स्थल निरीक्षण, मापयंत्र संस्थापन और क्रियाशील होने की स्थिति के अनुश्रवण के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब–आधारित अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से विशिष्ट पंजीकरण संख्या आधारित आवेदन खोजबीन (ट्रेकिंग) तन्त्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी 20 दिवस के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण करेगा तथा आवेदक को यथास्थिति ई–मेल/एसएमएस/डाक के माध्यम से आवेदन को स्वीकृत/निरस्त करने बाबत, मय प्राक्कलित राशि जमा करने तथा उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले करार/अनुबन्ध की प्रति के साथ संसूचित करेगा।

(छ) भुगतान की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन का अनुमोदन करेगा तथा आवेदक को इसकी सूचना अनुमोदन पत्र (Letter of Approval-LOA) द्वारा ई–मेल/एसएमएस/डाक के माध्यम से आवेदन की पावती जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रदान करेगा।

(ज) तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन से कार्य पूर्ण होने तक की समयावधि के दौरान यदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अपेक्षित क्षमता की स्थापना हेतु किसी वितरण अधोसंरचना स्तरोन्नयन जैसे सेवा लाइन में विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता का आवर्धन इत्यादि किये जाने की आवश्यकता हो तो इसका क्रियान्वयन यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 तथा पश्चात्वर्ती संशोधनों तथा पुनरीक्षण के अनुसार किया जायेगा।

(झ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के संस्थापन पश्चात उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को स्थापना प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थापना प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीस दिवस के भीतर संयोजन करार/अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने, मापयंत्र (मीटर) की स्थापना करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको सफलतापूर्वक क्रियाशील करने संबंधी कार्रवाई करेगा। इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने से तीस दिवस के भीतर संविदा करार/अनुबन्ध और स्थापना प्रमाण–पत्र के प्ररूपों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ञ) उत्पादोभोक्ता के पास अपेक्षित मापयंत्र (मीटर) को स्वयं क्रय करने का विकल्प होगा जिसका परीक्षण तथा संस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

(ट) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट उपरोक्त समय–सीमाओं का परिपालन किया जाएगा। विलम्ब की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी विशिष्ट प्रकरणों में, विलम्ब का औचित्य दर्शाते हुए, आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ठ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से किसी यथोचित कारण के बिना विलम्ब के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को चूक के प्रत्येक दिवस के लिये रू. 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

(ड) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथाउपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन अन्तरित करेगा।

(ढ) किसी बिलिंग के विवाद की स्थिति में उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेगा।

**12. शास्ति या क्षतिपूर्ति**

इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट समयसीमाओं की पूर्ति में विफल हो जाने की दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त विनियम 11(ठ) में विनिर्दिष्ट अनुसार उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

**13. संयोजन अनुबन्ध/करार**

वितरण अनुज्ञप्तिधारीतथा उत्पादोभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण तन्त्र (नेट वर्क) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के संयोजन के अनुमोदन पश्चात परन्तु प्रणाली से वास्तविक उत्पादन प्रारंभ होने से पूर्व यथास्थिति परस्पर शुद्ध मापन संयोजन अनुबन्ध करार या सकल मापन संयोजन अनुबन्ध/करार का निष्पादन करेंगे।

**14. दिशा–निर्देश प्रदान करने की शक्ति**

आयोग, समय–समय पर ऐसे दिशा–निर्देश तथा आदेश प्रदान कर सकेगा, जैसा कि वह इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु समुचित समझे।

**15. छूट प्रदान करने की शक्ति**

आयोग, स्वप्रेरणा से या फिर उसके समक्ष इच्छुक पक्षकार द्वारा दायर की गई किसी याचिका पर संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमों के किन्ही उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

**16. संशोधन करने की शक्ति**

आयोग समय–समय पर इन विनियमों के किन्ही उपबन्धों को जोड़ने, बढ़ाने, बदलने, परिवर्तन करने, निलंबित करने, सुधारने, संशोधित करने अथवा निरसित करने संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

**17. निरसन तथा व्यावृत्ति**

1. विनियम अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015" एवं इसके समस्त संशोधनों को एतद् द्वारा अधिक्रमित किया जाता है।

2. इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तर्निहित शक्तियों को, ऐसे आदेश जारी करने, जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

3. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो।

4. इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अन्तर्गत किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है अथवा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से जैसा वह उचित समझे, निवर्तन कर सकेगा।

5. इस म. प्र. वि. नि. आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
**गजेन्द्र तिवारी,** सचिव.

**अनुलग्नक–1**

**शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन संबंधी उदाहरण**
**निम्नदाब श्रेणी उत्पादोभोक्ता**

निम्नांकित उदाहरण में शहरी निम्न दाब घरेलू श्रेणी उत्पादोभोक्ता (Urban LT Domestic Category Prosumer) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश (Retail Supply Tariff) की विद्युत–दर अनुसूची (Tariff Schedule) के अनुसार गणना की गई है :

**एलवी LV. 1.2**

**(i) ऊर्जा प्रभार (Energy Charge) तथा स्थाई प्रभार (Fixed charge)**–मीटरीकृत संयोजन हेतु

| मासिक खपत स्लैब (यूनिट) | दूरबीनीय लाभ के साथ ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र | मासिक स्थाई प्रभार (रूपये) | |
|---|---|---|---|
| | | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र |
| 50 यूनिट तक | 421 | 69 प्रति संयोजन | 55 प्रति संयोजन |
| 51 यूनिट से 150 यूनिट तक | 517 | 121 प्रति संयोजन | 98 प्रति संयोजन |
| 151 यूनिट से 300 यूनिट तक | 655 | प्रत्येक 0.1 kW(किलोवाट) भार हेतु 26 | प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 23 |
| 300 यूनिट से अधिक | 674 | प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 27 | प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 26 |

**न्यूनतम ऊर्जा प्रभार : उपरोक्त श्रेणियों हेतु ऊर्जा प्रभार रूपये 70 प्रति संयोजन प्रति माह न्यूनतम प्रभारों के रूप में प्रयोज्य है।**

**टीप :**

(1) स्थाई प्रभारों को प्रति माह प्रत्येक 15 यूनिट खपत अथवा इसके किसी खण्ड को 0.1 kW (किलोवाट) भार के समकक्ष हेतु अधिरोपित किया जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह में विद्युत खपत 125 यूनिट हो तो स्थाई प्रभार 0.9 kW (किलोवाट)हेतु अधिरोपित किये जाएंगे। यदि विद्युत खपत 350 यूनिट है तो स्थाई प्रभार 2.4 kW (किलोवाट) हेतु अधिरोपित किये जाएंगे।

***अवधारणा (Assumption) :***

1. ***स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली : 5 kW (किलोवाट) हेतु***
2. ***प्रतिदिवस औसत सौर उत्पादन : 4 यूनिट प्रति kW (किलोवाट)***

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम 2022 के विनियम 7 क के अनुसार ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन**

**क. जहां ग्रिड से विद्युत का आयात नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत के निर्यात से अधिक है**

| सरल क्रमांक | देयक पर दर्शाये जाने वाली जानकारी | मूल्य | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित विद्युत की मात्रा | 150 यूनिट | नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित कुल यूनिट संख्या = 600 |
| 2. | बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष को सम्मिलित करते हुए | 450 यूनिट | |
| 3. | **शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा जिस हेतु भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा किया जाना अपेक्षित है** | **300 यूनिट** | **(2)–(1)–(4) अर्थात् आयात की मात्रा निर्यात से अधिक है तथा पूर्व बिलिंग से आकलित (क्रेडिटेड) यूनिट उपलब्ध नहीं है।** |
| 4. | अन्तिम बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत | 0 यूनिट | |
| 5. | आगामी बिलिंग अवधि को आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत | 0 यूनिट | |
| 6. | नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) अनुपालन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा यूनिटों की संख्या | 150 यूनिट | विनियम 8 से संरेखित |

**अतएव**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा भुगतान किये जाने वाले ऊर्जा प्रभार (Energy Charges)** *1. शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर विचारयोग्य =* ***300 यूनिट****(देखें ऊपर सरल क्रमांक 3) {खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश के अनुसार आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से* | ***स्लैब*** | ***दर/पैसे प्रति (यूनिट)*** | ***बिल किये गये यूनिटों की संख्या*** | ***राशि (रूपये)*** |
| | | *50 यूनिट तक* | *421* | *50* | **210.50** |
| | | *51 यूनिट से 150 यूनिट तक* | *517* | *100* | **517.00** |
| | | *151 यूनिट से 300 यूनिट तक* | *655* | *150* | **982.50** |
| | | *300 यूनिट से अधिक* | *674* | | |
| | | **कुल ऊर्जा प्रभार (रूपये)** | | | **1710.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *अधिक हैं}* | | |
| **8.** | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा भुगतान किये जाने वाले स्थाई प्रभार (Fixed Charges)** *{(ग्रिड से आयात किये जाने वाले यूनिटों की संख्या पर विचार करते हुए = 450 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 2 के अनुसार)}* | **450 यूनिट**, प्रत्येक 0.1 KW भार, अर्थात् **3 KW** हेतु रू. 27 प्रति किलोवाट की दर से | **रू. 810.00** |
| **9.** | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को लागू होने वाले अन्य प्रभार (जैसा कि FCA/Tax/Cess आदि)** *{शुद्ध बिल की गई यूनिट संख्या पर विचार करते हुए = 300 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 3 के अनुसार)}* | | **रू. 100.00** (मानी गई राशि) |
| **10.** | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय कुल देयक राशि** (10=7+8+9) | | **रू. 2620.00** |

**ख. जहां नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वाराउत्पादित विद्युत का निर्यात ग्रिड से आयात की गई विद्युत से अधिक है**

| सरल क्रमांक | देयक पर दर्शाये जाने वाली जानकारी | मूल्य | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित विद्युत की मात्रा | 450 यूनिट | नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित कुल यूनिट संख्या = 600 यूनिट |
| 2. | बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष को सम्मिलित करते हुए | 300 यूनिट | आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से अधिक हैं |
| 3. | शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा जिस हेतु भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा किया जाना अपेक्षित है | 0 यूनिट | **(2)–(1)–(4) चूंकि निर्यात की मात्रा आयात से अधिक अतएव आधिक्य यूनिटों को अगले बिलिंग चक्र की ओर आगे बढ़ाया (Carry Forward) जाता है** |
| 4. | अन्तिम बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत | 0 यूनिट | |
| 5. | आगामी बिलिंग अवधि को आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत | 150 यूनिट | (1)–(2)–(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) अनुपालन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा यूनिटों की संख्या | 450 यूनिट | विनियम 8 से संरेखित |

**अतएव,**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय ऊर्जा प्रभार (Energy Charges)** *{शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर विचार करते हुए = 0 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 3 के अनुसार)}(खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश के अनुसार आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से अधिक हैं)* | *स्लैब* | *दर (पैसे प्रति यूनिट)* | **रू. 00.00** *(चूंकि निर्यात की गई यूनिटों की संख्या आयात की गई यनिटों से अधिक है, अतएव आधिक्य यूनिटों को अगले बिलिंग चक्र की ओर बढ़ाया (Carry Forward) जाएगा)।* |
| | | *50 यूनिट तक* | 421 | |
| | | *51 यूनिट से 150 यूनिट तक* | 517 | |
| | | *151 यूनिट से 300 यूनिट तक* | 655 | |
| | | *300 यूनिट से अधिक* | 674 | |
| 8. | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय स्थाई प्रभार (Fixed Charges)** *{(ग्रिड से आयात किये यूनिटों पर विचार करते हुए= 300 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 2 के अनुसार)}* | **300 यूनिट**, प्रत्येक 0.1 KW भार, अर्थात् **2 KW**हेतु रू. 26 प्रति किलोवाट की दर से | | **रू. 520.00** |
| 9. | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को लागू होने वाले अन्य प्रभार (जैसा कि FCA/Tax/Cess आदि)** *{शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर विचार करते हुए = 0 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 3 के अनुसार)}* | | | **0.00** |
| 10. | **उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय कुल देयक राशि (10=7+8+9)** | | | **रू. 520.00** |

**अनुलग्नक–2**

**शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग)/सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) संयोजनहेतु आवेदन का प्ररूप**

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

वितरण अनुज्ञप्तिधारी (कार्यालय का नाम)

मैं एतद् द्वारा, विद्यमान सेवा संयोजन पर नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी शुद्ध–मापन संयोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र हेतु आवेदन कर रहा हू, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

| अनुक्रमांक | विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | आवेदक का नाम | |
| 2 | आवेदक का पता | |
| 3 | सेवा संयोजन क्रमांक | |
| 4 | दूरभाष/मोबाईल क्रमांक | |
| 5 | ई–मेली आई डी | |
| 6 | संयंत्र क्षमता (किलोवाट में) | |
| 7 | क्या प्रणाली में स्वचालित पृथक्करण सुरक्षा सुविधा उपलब्ध है) (हां/नहीं) | |
| 8 | क्या पृथक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र संस्थापित किया जा चुका है (हां/नहीं) | |
| 9 | नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के क्रियाशील होने की संभावित तिथि | |
| 10 | संयंत्र के परीक्षण प्रमाण–पत्रों के विवरण | |

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

**अभिस्वीकृति**

**शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग)/सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) संयोजन हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ**

आवेदक का नाम :

सेवा संयोजन क्रमांक :

संयंत्र क्षमता :

आवेदन पंजीकरण क्रमांक :

आवेदन प्राप्त करने की दिनांक :

अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

पदनाम .....

**अनुलग्नक–3**

**वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता**

**विवरण (वार्षिक आधार पर अद्यतन किये जाएं)**

**दिनांक ..... की स्थिति में विवरण**

| ट्रांसफार्मर संकेत (कोड) | ट्रांसफार्मर की अवस्थिति | नेम प्लेट क्षमता (KVA) | पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान व्यस्ततम (पीक) भार KVA | पिछले त्रैमास के दौरान शीर्ष भार (KVA) | संयोजित–नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की संचयी (Cumulative) क्षमता (किलोवाट प्रति केवीए) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |